

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-प0क0-13 / सं0नि0न0 / श0आ0-दिशा-निर्देश / 52 / 2020-21 / ९३१-७५ दिनांक २६ जून २०२०
विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष २०२०-२१ हेतु शहरी स्लम क्षेत्रों में हेत्थ प्रमोशन दिवस के आयोजन के लिए शहरी आशा प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त वर्ष २०२०-२१ की आर0ओ0पी0 में शहरी क्षेत्रों की आशाओं को स्लम क्षेत्रों में हेत्थ प्रमोशन दिवस के आयोजन किये जाने उपरान्त आशा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी आशा द्वारा संचालित हेत्थ प्रमोशन दिवस से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्राविधानों का नियमानुसार पालन करते हुए व्यय विवरण एस0पी0एम0य० कार्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा० मिथिलेश चतुर्वेदी)
महानिदेशक

पृ०प०संख्या- प०क0-13 / सं0नि0न0 / श0आ0-दिशा-निर्देश / 52 / 2020-21 /

तददिनांक-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- १— प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
 - २— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
 - ३— मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
 - ४— अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
 - ५— समस्त जिलाधिकारी / जिलाध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
 - ६— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उत्तर प्रदेश।
 - ७— महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
 - ८— महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसेस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
 - ९— समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
 - १०— समस्त मण्डलीय अरबन हेत्थ कन्सलटेन्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
 - ११— समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जनपदीय अरबन हेत्थ कोआर्डिनेटर, एन0य०एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(डा० मिथिलेश चतुर्वेदी)
महानिदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या—प0क0—13 / सं0नि0न0 / श0आ0—दिशा—निर्देश / 52 / 2020—21 /

दिनांक 26 जून 2020

विषयः— राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020—21 हेतु शहरी स्लम क्षेत्रों में हेत्थ प्रमोशन दिवस के आयोजन के लिए शहरी आशा प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2020—21 की आर0ओ0पी0 में शहरी क्षेत्रों की आशाओं को स्लम क्षेत्रों में हेत्थ प्रमोशन दिवस के आयोजन किये जाने उपरान्त आशा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी आशा द्वारा संचालित हेत्थ प्रमोशन दिवस से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत दिशा—निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि निर्गत दिशा—निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्राविधानों का नियमानुसार पालन करते हुए व्यय विवरण एस0पी0एम0यू0 कार्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा० मिथिलेश चतुर्वेदी)
महानिदेशक

पृष्ठ0 संख्या— प0क0—13 / सं0नि0न0 / श0आ0—दिशा—निर्देश / 52 / 2020—21 / 1006-342 तददिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3— मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4— अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 5— समस्त जिलाधिकारी / जिलाध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 7— महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 8— महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसेस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 9— समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 10— समस्त मण्डलीय अरबन हेत्थ कन्सलटेन्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 11— समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जनपदीय अरबन हेत्थ कोआर्डिनेटर, एन0यू0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(डा० मिथिलेश चतुर्वेदी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020–21 हेतु हैल्थ प्रमोशन दिवस के आयोजन के लिये आशा प्रोत्साहन धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

शहरी स्लम क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में शहरी आशा तथा महिला आरोग्य समिति की अहम भूमिका है। शहरी आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2020–21 के एफ.एम.आर. कोड संख्या—U 3.1.1.3 (other incentive to ASHA) के अन्तर्गत स्लम क्षेत्र में हैल्थ प्रमोशन दिवस हेतु ₹0 200 प्रति आशा प्रति दिवस प्रति माह की दर से प्रतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गयी है। हैल्थ प्रमोशन दिवस की प्रतिपूर्ति राशि का प्रावधान स्लम क्षेत्रों हेतु पूर्व में स्वीकृत 7036 शहरी आशाओं हेतु किया गया है, जिसका जनपदवार विवरण संलग्नक—क में दिया गया है।

शहरी आशा अपने कार्यक्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य प्रेरक के रूप में कार्य करती है। स्लम क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक शहरी आशा के क्षेत्र में एक महिला आरोग्य समिति का गठन किया गया है। महिला आरोग्य समिति अपने कार्य क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों व स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर समुदाय के मध्य जागरूकता बढ़ाये जाने में आशा का सहयोग करती है। इस परिप्रेक्ष्य में स्लम क्षेत्र में कार्यरत शहरी आशा द्वारा, महिला आरोग्य समिति के सहयोग से, प्रतिमाह एक हैल्थ प्रमोशन दिवस का आयोजन किया जायेगा। हैल्थ प्रमोशन दिवस के आयोजन के लिये स्वारथ्य कारकों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं/सम्बन्धित विभागों के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुये गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। मासिक गतिविधियों के आयोजन हेतु अतिरिक्त संसाधन/धनराशि पृथक से उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रत्येक माह आयोजित किये जाने वाले हैल्थ प्रमोशन दिवस के लिये एक थीम निर्धारित की गयी है, जो कि निम्नवत है :—

1. प्रथम मासिक गतिविधि— खुले में शौच मुक्ति—ओ.डी.एफ.।
2. द्वितीय मासिक गतिविधि— स्वच्छता, हाथ धोना—हैण्डवासिंग दिवस।
3. तृतीय मासिक गतिविधि— मातृत्व दिवस।
4. चतुर्थ मासिक गतिविधि— किशोर—किशोरी स्वास्थ्य व स्वस्थ जीवन शैली प्रोत्साहन दिवस।
5. पंचम मासिक गतिविधि— संचारी रोग दिवस।
6. षष्ठम मासिक गतिविधि— गैर संचारी रोग दिवस।

प्रत्येक गतिविधि वर्ष में दो बार उपरोक्तानुसार संचालित की जायेंगी।

प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली हैल्थ प्रमोशन दिवस गतिविधियों के उद्देश्य :—

- स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों जैसे स्वच्छता, पोषण, जल, साफ—सफाई, संचारी/गैर संचारी रोग व इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव के विषय में समुदाय को जागरूक करना।
- उपरोक्त गतिविधियों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में समुदाय की भागीदारी एवं उनका सशक्तिकरण किया जाना।
- गतिविधियों के आयोजन में महिला आरोग्य समिति के सदस्यों एवं स्वयं स्लम में कार्य कर रहे अन्य सामुदायिक समूहों का सहयोग प्राप्त करना एवं उन्हें सुदृढ़ करना।
- समुदाय के हित के लिये सामूहिक कार्यवाही को बल प्रदान करना।
- आशाओं में सामुदायिक गतिविधियों को आयोजित करने में प्रवीणता प्राप्त करना।

हैल्थ प्रमोशन दिवस गतिविधियों का आच्छादन :—

हैल्थ प्रमोशन दिवस के अन्तर्गत गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक महिला आरोग्य समिति के क्षेत्र में किया जायेगा। हैल्थ प्रमोशन दिवस के आयोजन के लिये सम्बन्धित शहरी आशा उत्तरदायी होगी, जिसके लिये शहरी आशा को प्रति हैल्थ प्रमोशन दिवस गतिविधि हेतु ₹0 200 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। मासिक गतिविधियों का आयोजन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी/ए०एन०एम० की देखरेख में समुदाय की आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से किया जा सकता है। एक वर्ष में प्रत्येक शहरी स्लम आशा द्वारा प्रतिमाह एक हैल्थ प्रमोशन दिवस इस प्रकार कुल 12 हैल्थ प्रमोशन दिवस का आयोजन उपरोक्त विवरणानुसार किया जायेगा।



प्रथम मासिक गतिविधि— खुले में शौच मुक्ति—ओ.डी.एफ.

समुदाय, बीमारी, साफ—सफाई तथा स्वच्छता के मध्य गहरा संबन्ध है। प्रायः यह देखा गया है कि साफ—सफाई तथा स्वच्छता न होने पर बीमारियों का फैलाव अधिक होता है। मात्र समय पर एवं विधिवत् तरीके से हाथ धोकर ही 70 प्रतिशत बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। शौचालय का उपयोग करने से ही 50 प्रतिशत जल जनित बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। उक्त मासिक गतिविधि के अन्तर्गत निम्न लिखित बिन्दुओं पर चर्चा कर समुदाय को होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक कर बचाव हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

1. खुले में शौच विषय पर संवेदीकृत किया जाना, विशेषकर मल से फैलने वाली बीमारियों यथा— दर्सत या अतिसार, कुपोषण व पेट के कीड़े इत्यादि के दुष्परिणामों पर चर्चा की जाये।
2. खुले में शौच मुक्त स्लम की आवश्यकता और स्वास्थ्य के साथ उसका संबन्ध के विषय में समुदाय को जागरूक करना।
3. खुले में शौच से सम्बन्धित समस्याओं और पानी एवं मिट्टी के जरिये, मक्खियों और मानव संपर्क के माध्यम से मल प्रदूषण के फैलने के बारे में जानकारी प्रदान करना। यह भी चर्चा की जाये कि खुले में शौच के कारण मल प्रदूषण और उसके हमारे शरीर, भोजन और पानी तक पहुँचने के बीच क्या सम्बन्ध है ? इस विषय पर चर्चा की जाये।
4. सबको सुरक्षित (सैनिटरी) टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिये क्योंकि यह मल की गंदगी फैलने के चक्र को तोड़ने और हमारी जिंदगी से मल की गंदगी के उन्मूलन का सबसे प्रभावशाली तरीका है।
5. शौचालय बनवाने और व्यवहार में बदलाव को प्रोत्साहन देने के लिये कार्य योजना तैयार करना। शौचालय निर्माण के लिये तकनीकी विकल्पों, संसाधनों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना।
6. स्लम में स्थापित सामुदायिक शौचालयों में छोटी—छोटी कमियों— सिटकनी न होना, दरवाजों के कब्जो, पानी के नलों की टोटी इत्यादि की मरम्मत हेतु मास की अन्टाईड धनराशि का उपयोग करना।
7. इस चर्चा से खुले में शौच से मुक्ति की आवश्यकता और सामूहिक कार्यवाही करने के लिये आम सहमति बनायी जानी चाहिये। फालो—अप कार्यान्वयन योजना विकसित करना।

उपलब्ध संसाधन और सहयोग :-

1. कार्यक्रम के प्रतिनिधियों को समुदाय के लिये उपलब्ध तकनीकी विकल्पों एवं संसाधनों/सहयोग के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
2. खुले में शौच से मुक्ति की आवश्यकता एवं उपयोगिता के विषय में समुदाय को जागरूक करने के लिए विद्यार्थियों एवं समुदाय के सदस्यों के माध्यम से रैली एवं नुक़त नाटकों का आयोजन किया जाना।
3. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कार्यक्रमों और तकनीकी विकल्पों के अनुसार शौचालय निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाना।

शहरी आशा के दायित्व :-

प्रथम मासिक गतिविधि आयोजन हेतु आशा द्वारा निम्न गतिविधियों को क्रमानुसार किया जाना होगा।

- महिला आरेग्य समिति के माध्यम से, मलिन बस्तियों/क्षेत्रों का स्थलीय भ्रमण आयोजित किया जाये, जिसमें क्षेत्र के संभ्रात व्यक्तियों एवं स्टेकहोल्डर्स को सम्मिलित किया जाये। स्लम के खुले में शौच वाले क्षेत्रों (पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के प्रयोग के क्षेत्र) पर ध्यान दिया जायेगा।
- मलिन बस्तियों में निजी शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों की उपलब्धता और उपयोग तथा उनके उपयोग की प्रचलित आदतों के आकलन के साथ चर्चा प्रारम्भ की जाये।
- इसी दौरान खुले में शौच वाले क्षेत्रों की पहचान और घरों में निजी शौचालय और सामुदायिक शौचालय के लिये जमीन की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर ली जाये।
- आशा द्वारा इस दौरान यह सूची बनाई जा सकती है कि कितने घरों में शौचालय हैं और कितने घरों में शौचालय नहीं है। साथ ही जिन घरों में शौचालय बनाये जा चुके हैं उनमें से कितने के द्वारा शौचालय का उपयोग किया जा रहा है इसकी भी सूची तैयार की जाये।



- सुदूर मलिन वस्तियों और वंचित इलाकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा शौचालय के नियमित उपयोग को प्रोत्साहन देने की रणनीति तैयार की जाये तथा उसके लाभ भी बतायें जाये।
- आगामी अभियान/तिथि/दिवस और रथान तथा गतिविधि पर चर्चा की जाये तथा उत्तरदायित्व को तय किया जाये।

द्वितीय मासिक गतिविधि— स्वच्छता, हाथ धोना—हैण्डवासिंग दिवस

स्वच्छता विषय पर समुदाय को संवेदीकृत किया जाना आवश्यक है। स्वरूप रहना है तो स्वच्छ रहना होगा। खासतौर से मल से फैलने वाली बीमारियों यथा— दस्त या अतिसार, कुपोषण व पेट के कीड़े इत्यादि पर चर्चा की जाये। इस दिवस में गॉव की साफ—सफाई के घटकों को सम्मिलित किया जाये। इसके अन्तर्गत गॉव की सामूहिक साफ—सफाई के लिये विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जायेगा।

आप स्वयं और अन्य को बीमारियों से बचाने के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, वह है “हाथ धोना/हैण्डवासिंग”。 विधिवत् हाथ धोना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। बीमारियों पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। हाथ न धुलने एवं बीमारियों के होने में गहरा सम्बन्ध है। यदि आप समयानुसार हाथों को अच्छी प्रकार से धोते हैं तो आप बीमारियों से स्वयं की रक्षा करते हैं। समुदाय को विधिवत् हाँथ धोने के लिए जागरूक किया जाना आवश्यक है। हाथ धोना हमेशा ही देखभाल का पहला चरण है। उक्त मासिक गतिविधि के अन्तर्गत निम्नलिखित विन्दुओं पर चर्चा कर समुदाय को स्वच्छता व हाथ धोने के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

1. समुदाय को सामूहिक श्रमदान के द्वारा साफ—सफाई के महत्व से अवगत कराना एवं तदनुसार कार्यवाही हेतु सहभागी रणनीति तैयार करना।
2. स्लम की सामूहिक साफ—सफाई के प्रति समुदाय को जागरूक करने के लिए महिला आरोग्य समिति द्वारा साफ—सफाई के मसलों पर समझ रखने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/विशेषज्ञों को निर्मिति करना।
3. समुदाय में विद्यार्थियों के माध्यम से साफ—सफाई जागरूकता अभियान हेतु रैली का आयोजन किया जाना।
4. समुदाय में साफ—सफाई के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने वाले परिवारों को सम्मानित किया जाना।
5. समुदाय के साथ हाथ धोने के महत्व के विषय में चर्चा करें तथा हाथ धोने के सही तरीकों के बारे में समुदाय को जानकारी प्रदान करें।
6. साबुन से हाथ धोना स्थानीय संस्कृति बने इसके लिए समुदाय स्तर पर प्रयास किये जायें।
7. साबुन से सही तरीके से हाथ धोने का प्रदर्शन किया जाये।
8. समुदाय को बताया जाये कि हाथ धोने से बीमारी दूर रहती है और संक्रमण फैलने से बचाव होता है।
9. समुदाय को यह भी बताया जाये कि बिना धुले हाथों पर लगे कीटाणु, खाना पकाते या खाते समय शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार करते हैं।
10. विषय विशेषज्ञों द्वारा समुदाय को साफ—सफाई की आदतें अपनाने के लिये तथा हाथ धोने के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित करवाना।

उपलब्ध संसाधन और सहयोग –

1. विद्यालय एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना।
2. स्लम की साफ—सफाई हेतु स्थलों का चिन्हांकन।
3. सामूहिक श्रमदान के लिये साफ—सफाई हेतु आवश्यक उपकरणों (फावड़ा, झाड़ू, टोकरी एवं चूना इत्यादि) तथा हाथ धोने हेतु आवश्यक संसाधनों (बाल्टी, मग, साबुन, पानी, साफ तौलिया इत्यादि) की उपलब्धता, पूर्व से संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना।
4. हाथ धोने का प्रदर्शन करने हेतु उचित स्थल का चिन्हांकन।
5. पानी की व्यवस्था व नालियों के बहाव को किसी नाले/सीवर की ओर ले जाने हेतु सम्बन्धित विभाग से आवश्यक सहयोग प्राप्त करना।



शहरी आशा के दायित्व –

- महिला आरेग्य समिति के माध्यम से मलिन बस्तियों/क्षेत्रों का स्थलीय भ्रमण आयोजित किया जाये।
- गतिविधि में स्लम के समर्त परिवारों एवं स्टेकहोल्डर्स को सम्मिलित किया जाये।
- सुदूर मलिन बस्तियों और वंचित इलाकों के हितग्राही समूहों को प्राथमिकता दी जाये।
- स्लम की यात्रा (ट्रॉसेट वॉक) में स्लम के कूड़ा निस्तारण के स्थलों का चिन्हीकरण किया जाये, आवश्यकतानुसार सामूहिक सहमति के आधार पर कूड़ा निस्तारण के स्थलों को परिवर्तित किया जाये जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाये कि कूड़ा निस्तारण स्थल बसावट से दूर हो।
- नालियों की सफाई नियमित हो एवं उनका बहाव सुचारू बना रहे इसके लिये समुदाय को इस बात के लिये प्रेरित एवं जागरूक करें कि समुदाय के सदस्य अपने घर के सामने की नाली खांब–समय–समय पर साफ करते रहें जिससे बस्ती खब्बा रहेगी।
- आशा द्वारा समुदाय को इस बात के लिये जागरूक किया जाये कि वह अपने घरों का कूड़ा–कचरा सड़कों, गलियों या इधर–उधर न फेंके। कूड़े–कचरे से कम्पोस्ट बनाने हेतु समुदाय को अभिमुखीकृत किया जाये।
- जागरूक परिवारों द्वारा अन्य परिवारों के साथ हाथ धोने के लाभ के बारे में विस्तृत चर्चा की जाये। हाथ कब, कैसे और क्यों धोना आवश्यक है, इत्यादि पर प्रश्नगत चर्चा करते हुये समुदाय की समझ विकसित की जानी चाहिए।

त्रृतीय मासिक गतिविधि— मातृत्व दिवस

आशा के पास अपने क्षेत्र के पात्र दंपतियों की पूरी सूची उपलब्ध होती है जिससे वह अपनी रणनीति तैयार करती है। गर्भ धारण करते ही गर्भवती को यूएचएनडी तक पहुंचाना आशा का कर्तव्य है। यूएचएनडी पर जांच के पश्चात उसका पंजीकरण, एवं जावे सुनिश्चित करना आशा का दायित्व है। गर्भवती को अन्य जांचों के लिए नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने हेतु प्रेरित करना एवं चिकित्सक द्वारा निर्धारित औषधियों को नियमित रूप से ग्रहण करने के लिए भी आशा उत्तरदायी है।

प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व प्रदान करने के लिये आवश्यक है कि उसका शीघ्र पंजीकरण कराया जाये तथा प्रसवपूर्व समर्त जॉचे समय–समय पर की जायें। ससमय पंजीकरण, जॉचों, माँ व बच्चे के जोखिम को पहचानने एवं उनका निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को समयानुसार संदर्भन सेवायें प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। प्रदेश की प्रत्येक गर्भवती महिला को सभी स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क प्रदान किये जाने हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घण्टे में माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर जटिलताये व मृत्यु इस अवधि में ही होती है।

प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को इस अति संवेदनशील अवधि में चिकित्सालय में चिकित्सकों की निगरानी में रखने की होनी चाहिये। इसके लिये प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घण्टे अवश्य रुकना चाहिये। 102 एम्बुलेन्स सेवा गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं 01 वर्ष तक के शिशुओं को समयानुसार संदर्भन सेवायें प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। प्रदेश की चिकित्सा इकाई से उच्च इकाई के लिये संदर्भन की सभी परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु संचालित की जा रही है, इसी प्रकार 108 एम्बुलेन्स सेवा से जन–मानस को इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। यहां यह भी चर्चा करना आवश्यक है कि एक परिपक्व किशोरी ही स्वस्थ माँ बनने में शारीरिक व मानसिक रूप से तत्पर होती है अतः लड़की/लड़कों का विवाह सही आयु पर किया जाये। यदि किन्हीं कारणों से किसी महिला की (15–49 वर्ष में) मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना सम्बन्धित चिकित्सा प्रभारी अधिकारी को अवश्य प्रदान की जाये। जिससे सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय तक प्रेषित हो सके।

उक्त मासिक गतिविधि के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की जानी चाहिए—

1. शीघ्र पंजीकरण के लाभ से समुदाय को अवगत कराया जाना।
2. प्रसव पूर्व जॉचों के महत्व से समुदाय को अभिमुखीकृत किया जाना।
3. शतप्रतिशत संस्थागत प्रसव कराये जाने हेतु जन्म कार्य योजना (बर्थ प्लान) बनायी जानी।
4. उच्च जोखिम (हाई रिस्क) वाली गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार किया जाना।
5. 102 व 108 एम्बुलेन्स सेवा का आवश्यकतानुसार उपयोग किये जाने पर चर्चा।



6. प्रसवोपरान्त संरथा में 48–72 घण्टे ठहरने के महत्व पर चर्चा।
7. विवाह की सही आयु पर चर्चा।
8. मातृ–मृत्यु की सूचना प्रेषण करने के महत्व पर चर्चा।

उपलब्ध संसाधन और सहयोग –

1. सम्बन्धित ए.एन.एम. को रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया जाना।
2. उपलब्ध आई.ई.सी. व बी.सी.सी. सामग्रियों का समुचित उपयोग किया जाना।
3. माह की प्रत्येक 9 तारीख को आयोजित किये जाने वाले मातृत्व दिवस में चिन्हित लाभार्थियों को सेवा प्रदान किया जाना।

शहरी आशा के दायित्व –

- महिला आरोग्य समिति के सदस्यों से सहयोग प्राप्त कर मातृत्व दिवस के आयोजन किया जाये जिसमें चिन्हित लाभार्थियों एवं उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया जाये।
- बैठक में लाभार्थियों को उक्त बिन्दुओं पर क्रमवार अवगत कराया जाये।
- बैठक में प्रतिरोधी परिवारों को सेवाओं के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाये।
- बैठक में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाये।
- प्रसवोपरान्त नवजात शिशु के लिये आवश्यक बचाव आदि के बारे में चर्चा की जाये।

चतुर्थ मासिक गतिविधि—किशोर—किशोरी स्वास्थ्य दिवस व स्वस्थ्य जीवन शैली प्रोत्साहन दिवस

किशोरावस्था (10–19 वर्ष) व्यक्ति के जीवन का वह चरण है, जिसमें तेजी से शारीरिक विकास होता है। किशोर/किशोरियों में मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार सम्बन्धी बदलाव होते हैं, जो उसे बाल्यावस्था से वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं। किशोरावस्था विकास काल होता है, इसी समय हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक/व्यवहारात्मक विकास की दिशा निर्धारित होती है। किशोरावस्था में ही हमारे अच्छे स्वारथ्य की नींव रखी जाती है।

किशोरावस्था में निम्नानुसार बदलाव होते हैं:-

1. **शारीरिक बदलाव**—किशोरावस्था में आते ही लड़के एवं लड़कियों के शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। लड़कों के कन्धे चौड़े होने लगते हैं, कद बढ़ जाता है, आवाज भारी होने लगती है। लड़कियों में स्तन एवं कुल्हे बढ़ने लगते हैं। लड़के एवं लड़कियों में बगल एवं जननांगों के आस—पास बाल उगने लगते हैं।
2. **भावनात्मक बदलाव**—शर्मिलापन, मनःस्थिति में तेज बदलाव, आत्मविश्वास में कमी, यौन आकर्षण, पहचान बनाने की तीव्र इच्छा, स्वतंत्र विचार एवं इच्छानुरूप कार्य न होने पर खीज होने लगना। इसी समय, धूम्रपान, मदिरापान, नशीली दवाओं का सेवन तथा असुरक्षित यौन सम्बन्ध जैसी गंदी आदतें भी लग सकती हैं।
3. **सामाजिक बदलाव**—जेनरेशन गैप, परिवार में एवं अपने हमउम्र साथियों में अपनी बात रखने में ज्यादा तत्परता दिखाना एवं नये रिश्ते बनाना।

स्वस्थ जीवन शैली का आजीवन प्रभाव प्रड़ता है जितनी कम उम्र में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाता है, जीवन पर उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ जीवन शैली से समुदाय के स्वास्थ्य सुचकांकों में सुधार होता है। स्वस्थ जीवनशैली के अन्तर्गत स्वस्थ आदतें अपनाकर स्वयं को निरौगी रखना है। समुदाय को ऐसी बातों के लिये प्रेरित करना जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके एवं जटिलताओं से बचा जा सके। स्वस्थ जीवन शैली प्रोत्साहन का यह भी उद्देश्य है कि व्यक्तियों, परिवारों/समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति/जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है साथ ही अकाल मृत्यु को कम किया जा सकता है। बीमारियों से बचाव के मुद्दे पर ध्यान देने से अनावश्यक चिकित्सकीय व्यय को कम किया जा सकता है।

उक्त मासिक गतिविधि के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा कर समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।

1. समुदाय को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना।
2. समुदाय को नियमित शारीरिक व्यायाम एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व से अवगत कराना।
3. समुदाय को बताना कि वजन पर नियंत्रण रखें, तनावमुक्त रहें एवं तम्बाकू शराब व अन्य प्रकार के नशों से दूर रहें।



4. बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का समयानुसार फालोअप करना।
5. समुदाय को पर्याप्त नींद के बारे में सुझाव दिया जाना।
6. समुदाय को जानकारी प्रदान की जाये कि वह समाज में अच्छे सामाजिक रिश्ते बनाये।

उपलब्ध संसाधन और सहयोग –

1. विद्यालय एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना।
2. बैठक करने हेतु सार्वजनिक स्थल तथा किशोर–किशोरियों को परामर्श देने हेतु उचित स्थल का चिन्हांकन।
3. क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

शहरी आशा के दायित्व –

- किशोर / किशोरी व स्वस्थ जीवन शैली दिवस मनाये जाने से पूर्व क्षेत्र में संचालित विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों के साथ बैठक कर उन्हें इस दिवस की उपयोगिता के विषय में अवश्य बतायें एवं अपेक्षित सहयोग प्राप्त करें।
- किशोर / किशोरी व स्वस्थ जीवन शैली दिवस पर सामुदायिक बैठक आयोजित की जाये। किशोर / किशोरियों के व्यवहार एवं स्वस्थ जीवन शैली से सम्बन्धित विन्दुओं पर चर्चा की जाये।
- परजीवी आंत्र कृमि संक्रमण के बारे में समुदाय को जागरूक करना तथा राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस पर दी जाने वाली कृमि नाशक गोली अवश्य खाने हेतु समुदाय को प्रेरित करना।
- समुदाय को किशोरावस्था में किशोर / किशोरी द्वारा अपनायी जाने वाली गंदी आदतों (धूम्रपान, मदिरापान, नशीली दवाओं का सेवन एवं असुरक्षित यौन सम्बन्ध) के बारे में चर्चा करें।
- समुदाय को अपने किशोर होते बच्चों के प्रति दोस्ताना व्यवहार अपनाने को प्रेरित करना।
- समुदाय को चर्चा के दौरान इस बात के लिए प्रेरित करें कि उनके बच्चे उनसे अपने शरीर में होते परिवर्तनों के विषय में खुलकर बात कर सकें।
- समुदाय में माताओं से माहवारी के दिनों में होने वाली परेशानी एवं साफ–सफाई के विषय में चर्चा करें। विद्यालय की महिला शिक्षकों एवं समुदाय की माताओं को माहवारी प्रवन्धन के बारे में जानकारी प्रदान की जाये। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह अपनी किशोर होती बालिकाओं / छात्राओं को माहवारी के विषय में अवश्य बतायें।
- एनीमिया के दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा करते हुए किशोर किशोरियों को साप्ताहिक आयरन फॉलिक सप्लीमेंट खाने के लिए प्रेरित करना।
- किशोरियों में माहवारी के विषय में समझ विकसित करना एवं माहवारी के समय साफ–सफाई की उपयोगिता के बारे में बताना एवं खच्छ व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना। किशोरियों को माहवारी के समय साफ–सफाई न रखने से होने वाले संक्रमणों के विषय में जागरूक करना।
- नशा मुक्ति आदि से सम्बन्धित विषयों पर रैली / नुक़ड़ नाटक का आयोजन किया जाना।
- बैठक के माध्यम से ऑगनबाड़ी कार्यकारी एवं चिकित्सक / चिकित्सा सहयोगी को किशोर / किशोरी व स्वस्थ जीवन शैली प्रोत्साहन दिवस में आने एवं समुदाय को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाये।
- स्वस्थ आदतें अपनाने के सम्बन्ध में, महिला आरोग्य समिति के सदस्यों व विद्यालयों के सहयोग से रैली निकाली जाये तथा विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर नुक़ड़ नाटक का आयोजन भी किया जा सकता है।
- विद्यालयों में पोस्टर प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं विवज इत्यादि का भी आयोजन किया जा सकता है।

पंचम मासिक गतिविधि– संचारी रोग दिवस

शहरी क्षेत्र, विशेषकर मलिन वस्तियां संचारी रोगों से ज्यादा प्रभावित होती हैं। समुदाय को विभिन्न संचारी रोगों के कारण, लक्षण, बचाव व उपचार के बारे में संवेदित किया जाना आवश्यक है। वर्ष के प्रथम संचारी रोग दिवस में वेक्टर जनित संचारी रोग यथा– मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाईलेरिया, ए०ई०ए०स० / जे०ई०, आदि तथा द्वितीय संचारी रोग दिवस में गैर वेक्टर जनित संचारी रोग यथा– फ्लू, कोविड-१९, डायरिया, हेपटाईटिस, एच०आई०वी० / एड्स तथा टी०बी०, लेप्रोसी आदि की चर्चा की जानी चाहिए।



उक्त मासिक गतिविधि के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा कर समुदाय को संचारी रोगों से बचाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है।

1. छींकते व खांसते समय मुहं को ढकना, इधर उधर न थूंकना तथा बार बार हाथ धोने को व्यवहार में लाने की आवश्यकता।
2. पीने के पानी का स्रोत स्वच्छ होना तथा पानी को ढक कर रखना।
3. संचारी रोगों हेतु उपलब्ध टीकाकरण समय से करवाना।
4. असुरक्षित यौन सम्बन्धों व संक्रमित सुई के प्रयोग से बचना। ड्रग्स की लत से दूर रहना।
5. तीन सप्ताह से अधिक खांसी होने पर बलगम की जांच कराना व टी०बी० होने पर पूर्ण उपचार कराना।
6. मच्छरों से बचाव हेतु आस पास पानी न जमा होने देना, कीटनाशक का छिड़काव व मच्छरदानी का प्रयोग करना।
7. संचारी रोग ग्रसित किसी भी व्यक्ति को लांछित/भेदभाव/बहिष्कार न करना।

उपलब्ध संसाधन और सहयोग –

1. सम्बन्धित ए.एन.एम. को रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया जाना।
2. उपलब्ध आई.ई.सी. व बी.सी.सी. सामग्रियों का समुचित उपयोग किया जाना।
3. संचारी रोग उपरान्त सही हो चुके व्यक्तियों के अनुभवों को साझा किया जाना।
4. क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

शहरी आशा के दायित्व –

- महिला आरोग्य समिति के सदस्यों से सहयोग प्राप्त कर संचारी रोग उपरान्त सही हो चुके व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया जाये।
- इनके अनुभवों, विशेषकर उनको हुई कठिनाईयों, को साझा करते हुए संचारी रोगों से बचाव हेतु आवश्यक व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाये।
- संचारी रोगों से बचाव हेतु आवश्यक व्यवहार परिवर्तन की सामुदायिक निगरानी की कार्ययोजना महिला आरोग्य समिति के माध्यम से बनाना।

षष्ठम मासिक गतिविधि— गैर संचारी रोग दिवस

विगत कुछ वर्षों में गैर संचारी रोग यथा— मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग व कैंसर का प्रसार बहुत तेजी से हुआ है। समय पर जांच व उपचार न होने की दशा में इन रोगों से ग्रसित व्यक्तियों की मृत्यु की दर बढ़ रही है। सरकार द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के माध्यम से 30 वर्ष से अधिक आयु के समस्त व्यक्तियों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख का कैंसर तथा स्तन व गर्भाशय कैंसर (केवल महिला) हेतु जांच किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां भी विगत वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता का स्तर व स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ उपलब्धता की स्थिति अच्छी नहीं है। समुदाय को इन गैर संचारी रोगों के विषय में संवेदित किये जाने हेतु वर्ष के प्रथम गैर संचारी रोग दिवस में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग व मधुमेह तथा द्वितीय गैर संचारी रोग दिवस में कैंसर व मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा की जानी चाहिए।

उक्त मासिक गतिविधि के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा कर समुदाय को गैर संचारी रोगों से बचाव व इलाज के बारे में जागरूक किया जा सकता है।

1. वजन नियंत्रित रखना तथा नियमित व्यायाम करना।
2. अधिक धी, तेल व नमक का सेवन न करना।
3. शराब व तंबाकू का सेवन न करना।
4. भोजन में अनाज, दाल, सब्जियों, फल व दूध की उचित मात्रा होना।
5. तनाव से बचना तथा नियमित योग व ध्यान करना।
6. नियमित जांच कराना व विक्रित्सक की सलाह अनुसार दवाईयों का नियमित सेवन करना।
7. गैर संचारी रोग ग्रसित किसी भी व्यक्ति को लांछित/भेदभाव/बहिष्कार न करना।

उपलब्ध संसाधन और सहयोग –

1. गैर संचारी रोग नियंत्रण के जिला स्तरीय अधिकारियों को रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया जाना।
2. मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रशिक्षित प्रशिक्षक को आमंत्रित किया जाना।



3. उपलब्ध आई.ई.सी. व बी.सी.सी. सामग्रियों का समुचित उपयोग किया जाना।

4. क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

शहरी आशा कार्यक्रम के दायित्व –

- समुदाय को उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, सर्वाइकल कैंसर, मुख कैंसर, स्तन कैंसर व मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें एवं समुदाय को इन बीमारियों से बचाव के बारे में बतायें तथा आवश्यकतानुसार संदर्भन सेवाओं के उपयोग हेतु चर्चा की जाये।
- आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सेवाओं की चर्चा की जाये। नियमित योग व ध्यान करने वाले व्यक्तियों के अनुभव साझा किये जाये।
- 30 वर्ष से ऊपर के जिन व्यक्तियों की जांच नहीं हुई है उन्हे चिन्हित कर जाँच हेतु प्रेरित किया जाये।
- स्वस्थ आहार के बारे में विस्तृत चर्चा की जाए तथा आहार व गैर संचारी रोग के बीच संबंध पर प्रकाश डाला जाए।

वित्तीय व्यवस्था—

भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित वार्षिक राज्य कार्य योजना वर्ष 2020–21 के एफ.एम.आर. कोड संख्या— U.3.1.1.3 Other Incentive to ASHAs (Health Promotion Day) के अन्तर्गत मासिक गतिविधियों हेतु आशाओं को नवीन प्रोत्साहन धनराशि अनुमोदित की गयी है। हैल्थ प्रमोशन दिवस के अन्तर्गत उक्त निर्धारित मासिक गतिविधियों के आयोजन हेतु जनपदों में स्लम क्षेत्रों हेतु पूर्व में स्वीकृत 7036 आशाओं के लिए कुल 12 माह हेतु धनराशि जनपदवार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा चुकी है :-

अवगत हैं कि आशाओं को प्रतिमाह नियमित गतिविधियों के आयोजन हेतु अधिकतम रु0 2000 प्रति आशा प्रतिमाह अनुमन्य है। इस मद में आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि वाउचर के माध्यम से प्रदान की जाती है। उक्त नियमित गतिविधि के साथ ही हैल्थ प्रमोशन दिवस की मासिक गतिविधियों के आयोजन हेतु अनुमन्य धनराशि रु0 200 प्रति गतिविधि प्रतिमाह प्रति आशा प्रदान किये जाने हेतु, इसी वाउचर में अंकन किया जायेगा।

अनुश्रवण एव मूल्यांकन

जिला / नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के अधिकारियों द्वारा ए०एन०एम० के माध्यम से प्रत्येक आशा की कार्य योजना तैयार करायी जाये एवं आयोजित की जाने वाली मासिक गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि दिये गये दिशा-निर्देशों की प्रति समर्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे। किसी भी दशा में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का अन्य किसी मद में व्यय न किया जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।



संलग्नक—क— हेत्य प्रमोशन दिवस हेतु स्वीकृत आशा प्रतिपूर्ति राशि का जनपदवार विवरण

Distt Code	District	No. of ASHA approved for slum area	Incentive for 7036 ASHA @ 200/- pm for 12 month	Distt Code	District	No. of ASHA approved for slum area	Incentive for 7036 ASHA @ 200/- pm for 12 month
901	Agra	625	1500000	939	Jaunpur	9	21600
902	Aligarh	415	996000	940	Jhansi	116	278400
903	Allahabad	340	816000	941	Kannauj	14	33600
904	Ambedkarnagar	35	84000	942	Kanpur Dehat	8	19200
905	Amethi	4	9600	943	Kanpur Nagar	457	1096800
906	Amroha (JP Nagar)	66	158400	944	Kasganj	16	38400
907	Auraiya		0	945	Kaushambi	3	7200
908	Azamgarh	39	93600	946	Kushinagar	11	26400
909	Baghpat	38	91200	947	Kheri	9	21600
910	Bahraich	37	88800	948	Lalitpur	3	7200
911	Ballia	34	81600	949	Lucknow	566	1358400
912	Balrampur	20	48000	950	Maharajganj	13	31200
913	Banda	6	14400	951	Mahoba	19	45600
914	Barabanki	4	9600	952	Mainpuri	42	100800
915	Bareilly	226	542400	953	Mathura	-151	362400
916	Basti	28	67200	954	Mau	32	76800
917	Bijnor	75	180000	955	Meerut	588	1411200
918	Budaun	72	172800	956	Mirzapur	30	72000
919	Bulandshahar	154	369600	957	Moradabad	230	552000
920	Chandauli	12	28800	958	Muzaffarnagar	72	172800
921	Chitrakoot	6	14400	959	Pilibhit	34	81600
922	Deoria	32	76800	960	Pratapgarh	4	9600
923	Etah	18	43200	961	Rae Bareli	28	67200
924	Etawah	37	88800	962	Rampur	62	148800
925	Faizabad	35	84000	963	Saharanpur	228	547200
926	Farukhabad	91	218400	964	Sambhal	38	91200
927	Fatehpur	38	91200	965	Sant Kabir Nagar	4	9600
928	Firozabad	216	518400	966	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	18	43200
929	GB Nagar	110	264000	967	Shahjahanpur	131	314400
930	Ghaziabad	285	683600	968	Shamli	27	64800
931	Ghazipur	30	72000	969	Shrawasti	3	7200
932	Gonda	5	12000	970	Sidharthnagar	12	28800
933	Gorakhpur	308	739200	971	Sitapur	33	79200
934	Hamirpur	12	28800	972	Sonabhadra	16	38400
935	Hapur	71	170400	973	Sultanpur	45	108000
936	Hardoi	34	81600	974	Unnao	40	96000
937	Hathras	30	72000	975	Varanasi	285	684000
938	Jalaun	51	122400	Total		7036	16886000